अन्तिम डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 184 / 2024 दायर दिनांकः– 09 / 09 / 2024

जीसीएमएस नं0:– 2024 / 349 निर्णय दिनांकः– 18 / 11 / 2025

वउनवान

1. हजारीलाल पुत्र गोपी राम जाति ब्राहम्ण निवासी भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— वादीगण

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. मोहनलाल पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी भनोखर तहसील कठूमर
3. राकेश पुत्र नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी भनोखर तहसील कठूमर
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा खेरली जरिये प्रंबध बैंक ऑफ बडौदा शाखा खेरली
5. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1.श्री राजेश अवस्थी–अधिवक्ता वादीगण
2.श्री रामजीलाल शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1–3

–:निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1499 रकबा 0.81 हैक्ट0 ग्राम वाके भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

प्रतिवादीगण 1 ला 0 3 के 1/2 हिस्से का शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकसमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने मे आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादीगण के 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 हाजिर आदालत होकर इकबाल जवाब पेश कर उक्त वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने की सहमती आदेशिका पर लिखत दी गई। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कराये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 वाके ग्राम भनोखर सत्यप्रतिलिपी पेश की है, जो शामिल पत्रावली है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 के अधिवक्ताओं के राजीनामा/सहमती के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने पर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी बाबत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 23.05.2025 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है। जिस कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से कुर्रेजात ऐतराज का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब प्रतिवादी ने पेश नही करना चाहा जिसका जवाब बन्द कर बहस वकुलाय सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुये पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब कराये जाने का निवेदन किया प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में विरोध दर्ज कराते हुये कहा की तहसीदार कठूमर ने मौके पर पहुँचकर दोनो पक्षकारों की उपस्थिति नियम 18 से 21 की पालना कर सही रूप कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया प्रार्थना पत्र कुर्रेजात का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

गया बहस पर मनन किया गया तहसीलदार कठूमर की कुर्रे रिपोर्ट के अनुसार नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई जिसके कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण दिनांक 18.11.2025 को अस्वीकार कर खारिज किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत तहसीलदार कठूमर की कुर्रेजात रिपोर्ट तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 1499/1 रकबा 0.4050 है0, वादी हजारी पुत्र गोपीराम ,हिस्सा पूर्ण, व आराजी खसरा नम्बर 1499/2 रकबा 0.4050 है0, प्रतिवादीगण चन्द्रप्रकाश मोहनालाल, राकेश, पिता नन्दकिशोर वहिस्सा बराबर सा0 खातेदार काश्तकार वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर तकसीम में दिया है। अतः मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 के राजीनामा के अधार पर दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1499/1 रकबा 0.4050 है0, वादी हजारी पुत्र गोपीराम ,हिस्सा पूर्ण, व आराजी खसरा नम्बर 1499/2 रकबा 0.4050 है0, प्रतिवादीगण चन्द्रप्रकाश मोहनालाल, राकेश, पिता नन्दकिशोर वहिस्सा बराबर सा0 खातेदार काश्तकार वाके ग्राम भनोखर तहसील

उपखण्ड अधिकारी

कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।सुनाया।

आज दिनांक 18.11.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर पालीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०